न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3556–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–05–2012 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस् जिला भोपाल म0 प्र0 प्र0क0 101, 32 एवं 33/बी–103/2011–12/धारा 33.

श्रीमती शाहिदा परवीन पुत्री श्री मसूद अहमद,
निवासी मकान नम्बर 67 पच्चीसाघाट फतेहगढ़
भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
पुराना सचिवालय जिला भोपाल
2–श्री लक्ष्मीनारायण इन्दूरिया पत्नी श्री सत्यनारायण इन्दूरिया
निवासी बी–37 सागर रॉयल होम्स होशंगाबाद रोड भोपाल
3–श्रीमती प्रभा इन्दूरिया पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण इन्दूरिया
4–श्री अनिरूद्ध भण्डारी पुत्र श्री विजयकुमार भण्डारी
5–रिता जारोलिया उर्फ रितु पुत्री श्री विजयकुमार भण्डारी
निवासी ग्राम छान तहसील हुजूर जिला भोपाल
हाल निवासी बी–37 सागर रॉयल होम्स होशंगाबाद रोड भोपाल
.....अनावेदकगण

श्री अबरार अहमद, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/6/15 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 श्री लक्ष्मीनारायण द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदन पत्र के संलग्न पंजीकृत बटवारा कमांक 3023(ख) दिनांक 31–1–1997 एवं पंजीबद्ध संशोधन पत्र कमांक 1153(क) दिनांक

14–10–2001 की फोटोकोपी प्रस्तुत कर मुद्रांक शुल्क जमा कराने का अनुरोध किया गया। उक्त दोनों दस्तावेजों की मूलप्रति न्यायालय बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक जिला भोपाल के पत्र कमांक 9/12 दिनांक 30–3–2012 के द्वारा इम्पाउण्ड कर मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भोपाल को भेजे गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा 3 प्रकरण कमांक 101, 32, 33/बी–103/11–12/धारा 33 दर्ज दिनांक 21–5–12 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य 9,00,000/– रुपये अवधारित किया गया, जिस पर रुपये 79,875/– मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क रुपये 8,230/– निर्धारित किया गया एवं साथ ही अधिनियम की धारा 40(ख) के तहत एक गुना अर्थदण्ड रुपये 79,875/– अवधारित किया गया । इस प्रकार कुल राशि रुपये 1,67,980/– शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भोपाल के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा आवेदिका को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) आवेदिका की ओर से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष अनावेदकगण को सूचना दी जाकर उनकी सुनवाई करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उन्हें न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया ।

(3) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत किये गये आधारों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विभाजन पत्र को हस्तान्तरण विलेख मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है क्योंकि वास्तव में प्रश्नाधीन दस्तावेज हस्तान्तरण पत्र नहीं होकर विभाजन पत्र है । उनके द्वारा कलेक्टर

ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कुल भूमि 39.75 एकड़ का बटवारा अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 के मध्य किया गया है । उक्त बटवारे में 5 एकड़ भूमि अनावेदक कमांक 2 को बटवारे में दी गई है, जबकि वह प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है इसलिये अनावेदक कमांक 2 के हिस्से में आयी भूमि विभाजन में नहीं दी जाकर हस्तान्तरित की गई है अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज को हस्तान्तरण पत्र मानकर बाजार मूल्य अवधारित करते हुये मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । चूँकि अनावेदक कमांक 2 द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवचन किया गया है, अतः कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 79,875/– का एक गुना रुपये 79,875/– शास्ति अधिरोपित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदिका के अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन बटवारा पत्र को हस्तान्तरण पत्र मानने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अवैधानिकता की गई है क्योंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि अनावेदक कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं होकर उसे विभाजन में 5 एकड़ भूमि दी गई है, जो कि हस्तान्तरण की श्रेणी में आती है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर